न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या [illegible]

निर्णय दिनांक – [illegible]

[illegible]

1. नाहरिया उर्फ [illegible] पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास जिला
   1/1 [illegible] पुत्र नाहरिया जाति भील
   1/2 [illegible] पुत्र नाहरिया जाति भील
   1/3 [illegible] पुत्री नाहरिया जाति भील
2. बजरंगा पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा (राजस्थान)
3. श्योजी पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास जिला कोटा (राजस्थान)
4. [illegible] पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास
   4/1 [illegible] पुत्र [illegible] जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास
   4/2 [illegible] पुत्र [illegible] जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

उपस्थित :-
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी नम्बर 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92 (ए) आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जरिये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खेतिया पुत्र नारायण जाति भील किशोरसागरके खातेदारी में ग्राम किशोर सागर तहसील कनवास में खसरा न 172 /3777 रकबा 10 बीघा) आराजी स्थित थी जो उनके मृत्यु के बाद उसके वारिसान नाहरिया, नानू, बजरंगा श्योजी पुत्रान व फूलाबाई पुत्री व मांगीबाई बेवा खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला के सहखातेदारी मे दर्ज हुई नकल जमाबन्दी संवत् संलग्न वाद पत्र है उक्त आराजी पर जब तक खेतिया जीवित रहा काबिज काश्त रहा तथा मृत्यु बाद खेतिया के वारिसान काबिज काश्त हुए जो आज तक काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर आराजी पर आज भी काबिज काश्त है उक्त सहखातेदारान में नानू ला औलाद फौत हो गया तथा फूला भी फौत हो गयी है आज भी खेतिया के वासिन वादीगण के द्वारा बोई गई फसल खेत मे खडी है उक्त आराजी खेतिया पुत्र नारायण कोम भील को आंवटन हुई थी जो मूल खसरा न 962 मे से खेतिया व अन्य कई लोगों को आंवटन हुई थी। और दखल देकर बाद काबिज काश्त खातेदारी प्रदान की गई थी। तभी से कब्जे काश्त व खातेदारी में चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज.)

सेटलमेंट सवंत 2058–2077 मे सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी की खसरा न. 172/377 की रकबा 10 बीघा का हाल रकबा 1.62 हैक्टर तथा पुराना खाता संख्या 40 का नया खाता संख्या 38 कायम कर सम्पूण आंवटित आराजी मूल खसरा न0 962 के हाल खसरा न 1014/0.08, 1142/0.02 है0 ,1143/1.10, 1157/0.94, 1146/1822/1.13 है0 , 1157/1837/1.37 है0, 1011/1838/1.62 है0, कायम किया तथा सम्पूर्ण आराजी सिवायचक दर्ज कर दी जिसमें वादी के खातेदारी की खसरा न साबिक 172/377 की 10 बिघा जिसका हाल रकबा 1.62 हैक्टर खसरा न 1020, 1021, 1141, 1142, 1143, 1146/1822 को वादीगण द्वारा काबिज काश्त होन के बावजूद सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका नोट वादी की जमाबन्दी खतौनी सवत् 2058 से 2077 खाता संख्या 38 मे दर्ज है।

सिवायचक दर्ज करने का कारण खसरा न 172 की 74 बीघा 5 बिस्वा में बेशी आवंटन बताया गया है जबकि बेशी आवंटन के कारण जिस व्यक्ति का मौके पर कब्जा काश्त नही है तथा जिसको खातेदारी नही दी गई है उसका आंवटन बेशी आंवटन होने के कारण निस्तारित किया जाता चाहिए था वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश गलत व अवैध है वादीगण वक्त आंवटन से आज तक लगातार 40 वर्षो से भूमि पर काबिज काश्त होकर खातेदारी अधिकार भी 20 वर्षो से अधिक समय से प्राप्त कर चुके है तथा पूर्व से चली आ रही खातेदारी की भूमि साबिक खसरा न 172/377 की 10 बीघा जिसको सेटलमेंट 2058 में सिवायचक दर्ज कर दिया है को पुनः अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है जिसके लिए यह खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जिसे धारा 80 सीआरसी के तहत नोटिस दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा भूमि पुनः वादीगण के खाते दर्ज करने पर यह वाद घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जाकर वादीगण के खाते की आराजी साबिक खसरा न 172/377 की 10 बीघा ग्राम किशोर सागर जिसका हाल रकवा 1.62 हैक्टर कायम कर हाल खसरा न 1020, 1021, 1141, 1142, 1143, 1157, कायम किये गये है का वादीगण को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे एंव वादीगण के पुनः भूमि खाते दर्ज की जावे।

वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि भूमि सिवायचक दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के विरूद्ध बेदखली का कार्यवाही न की जावे व वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न न किया जावे।

पत्रावली आज लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 को पेश हुई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि खेतिया पुत्र नारायण जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास की खातेदारी मे ग्राम किशोर सागर तहसील कनवास में खसरा न 172/377 की रकबा 10 बीघा आराजी स्थित थी जो खेतिया की मृत्यु के बाद उसके वारिसान नाहरिया, नानू बंजरंगा, श्योजी बाबू पुत्रान व फूला बाई पुत्री व मांगीबाई बेवा खेतीया जाति भील निवासी मोरूकला के सयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई जिसकी नकल जमाबन्दी 2052–55 पत्रावली में रेकार्ड मे है उक्त आराजी मे खेतिया के जीवन काल मे खेतिया काबिज काश्त रहा तथा खेतिया की मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज काश्त हुए जो आज तक

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

काबिज काश्त हुए जो आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है आज भी खेतीया के वारिसान मौके पर उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु सेटलमेन्ट सम्वत् 2058–77 में सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी के खसरा नं. 172/377 की 10 बीघा हाल रकबा 1.62 हेक्टेयर तथा पुराना खाता 40 का नया खाता संख्या 38 कायम कर संपूर्ण खातेदार वादी गण की आराजी खसरा नं. 1020 की 0.98 हैक्टेयर खसरा नं. 1021 की 0.21 हेक्टेयर खसरा नं. 1141 की 0.08 हेक्टेयर खसरा नं. 1142 की 0.02 हेक्टेयर खसरा नं. 1143 की 0.10 हेक्टेयर खसरा नं. 1157 की 0.94 हेक्टेयर कायम कर संपूर्ण आराजी सिवाय चक दर्ज कर दी वादी गण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से वादीगण के दावे की पुष्टि होती है वादीगण द्वारा अपने समर्थन स्वयं बजरंगलाल पीडब्ल्यू 1 एवं मुकेश कुमार पीडब्ल्यू 2 के शपथ पत्र न्यायालय में पेश किए गए तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। पत्रावली के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार कर डीकी विभाजन किया जाना उचित समझता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोरूकलां पटवार हल्का मोरूकलां तहसील कनवास की वर्तमान खसरा नं. 1020 की 0.98 हैक्टेयर खसरा नं. 1021 की 0.21 हेक्टेयर खसरा नं. 1141 की 0.08 हेक्टेयर खसरा नं. 1142 की 0.02 हेक्टेयर खसरा नं. 1143 की 0.10 हेक्टेयर खसरा नं. 1157 की 0.94 हेक्टेयर मे से 0.23 है पश्चिमी तरफ आराजी कुल किता 6 की 1.62 है0 आराजी का वादीगण नाहरिया के वारिस शंकरलाल, शोभाराम को 1/4 हिस्से का तथा वादी कम 2 बंजरगा पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला को 1/4 हिस्से का तथा वादी कम 3 श्योजी पुत्र खेतिया जाति मीणा निवासी मोरूकला को 1/4 हिस्से का व बाबू के वारिसान छन्नु व बबलू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला को 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादनी मांगीबाई के फौत हो जाने से वाद पत्र मे उसका नाम डिलीट किया जाता है राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम मोरूकला तहसील कनवास मे वर्तमान में स्थित आराजी खसरा नं. 1020 की 0.98 हैक्टेयर, खसरा नं. 1021 की 0.21 हेक्टेयर, खसरा नं. 1141 की 0.08 हेक्टेयर, खसरा नं. 1142 की 0.02 हेक्टेयर, खसरा नं. 1143 की 0.10 हेक्टेयर, खसरा नं. 1157 की पश्चिमी तरफ 0.23 है0 कुल किता 6 की रकबा 1.62 है0 आराजी मे बंजरगा उर्फ बजरंगलाल पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/4, श्योजी पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/4, तथा छन्नू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/8, बबलू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पुत्र नाहरिया जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पुत्र नाहरिया जाति भील निवासी मोरूकला का हिस्सा 1/8, राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में आदेशानुसार अंकन किया जावे उपरोक्तनुसार खोतदारन के दर्ज की गई आराजी वर्तमान खातेदारान सिवायचक वन विभाग से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक राष्टीय लोक अदालत कनवास दिनांक 13.08.2022 को मजमेआम सुनाया गया।

राजेश डांगी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

प्रकरण संख्या 40 / 2016 निर्णय दिनांक :– 13.08.2022

बउनवान

1 नाहरिया उर्फ नारू पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकलां तहसील कनवास जिला
 1/1 शंकरलाल पुत्र नाहरिया जाति भील
 1/2 शोभाराम पुत्र नाहरिया जाति भील
 1/3 कंचनबाई पत्नि नाहरिया जाति भील
2 बजरंगा पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकलां तहसील कनवास जिला कोटा (राजस्थान)
3 श्योजी पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकलां तहसील कनवास जिला कोटा (राजस्थान)
4 बाबू पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास
 4/1 छन्नू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास
 4/2 बबलू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला तहसील कनवास

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी नबंर 01 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92 (ए) आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 99 / 15 तारीख फैसला 13.08.2022 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नबंर 01 **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है, व अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम मोरूकलां पटवार हल्का मोरूकलां तहसील कनवास की वर्तमान खसरा नं. 1020 की 0.98 हैक्टेयर खसरा नं. 1021 की 0.21 हेक्टेयर खसरा नं. 1141 की 0.08 हेक्टेयर खसरा नं. 1142 की 0.02 हेक्टेयर खसरा नं. 1143 की 0.10 हेक्टेयर खसरा नं. 1157 की 0.94 हेक्टेयर मे से 0.23 है पश्चिमी तरफ आराजी कुल किता 6 की 1.62 है0 आराजी का वादीगण नाहरिया के वारिस शंकरलाल, शोभाराम को 1/4 हिस्से का तथा वादी क्रम 2 बंजरगा पुत्र खेतिया जाति भील निवासी मोरूकला को 1/4 हिस्से का तथा वादी क्रम 3 श्योजी पुत्र खेतिया जाति मीणा निवासी मोरूकला को 1/4 हिस्से का व बाबू के वारिसान छन्नु व बबलू पुत्र बाबू जाति भील निवासी मोरूकला को 1/4 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादनी मांगीबाई के फौत हो जाने से वाद पत्र मे उसका नाम डिलीट किया जाता है राजस्व रेकार्ड जमाबंन्दी ग्राम मोरूकला तहसील कनवास मे वर्तमान में स्थित आराजी खसरा नं. 1020 की 0.98 हैक्टेयर, खसरा नं. 1021 की 0.21 हेक्टेयर, खसरा नं. 1141 की 0.08 हेक्टेयर, खसरा नं. 1142 की 0.02 हेक्टेयर, खसरा नं. 1143 की 0.10 हेक्टेयर, खसरा नं. 1157 की पश्चिमी तरफ 0.23 है0 कुल किता 6 की रकबा 1.62 है0 आराजी मे बंजरगा उर्फ बजरंगलाल पुत्र खेतिया जाति

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, [illegible] पुत्र [illegible] जाति भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, तथा [illegible] पुत्र बाबू जाति भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, जाति भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, बबलू पुत्र बाबू [illegible] का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पुत्र नाहरिया जाति भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, शंकरलाल पुत्र नाहरिया जाति भील निवासी [illegible] का हिस्सा 1/8, राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में आदेशानुसार अंकन किया जावे उपरोक्तानुसार खातेदारान के दर्ज की गई आराजी वर्तमान खातेदारान सिवायचक वन विभाग से कम की जावे।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल –दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मौज ... x ...मुबलिग ... x ...बाबत ... x ...खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ... x ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ... ग ...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 अप्रेल 2022 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज०)

मुदई		रुपया	पै.	मुदायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....	——छप——		खर्चा गवाहान	....	——छप——	
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफरिक	....		
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

राजेश डागा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज०)